


**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI.**

**NOTICE FOR EMPANELMENT OF FIVE-STAR HOTELS**

General Administration Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi organizes high-level functions on behalf of Chief Minister Office, Offices of Council of Ministers and several State Level Functions and programmes.

To provide hospitality services for various functions/conferences/meetings/events, the Department invites applications from the Five-Star Hotels, situated in NCT of Delhi, for empanelment. Interested Hotels, having minimum qualification criteria should apply in the prescribed format and send the same through 'Speed Post' or through email to the e-mail ID [sgad@nic.in](mailto:sgad@nic.in) by 05:00 PM, 16.10.2025 (Thursday).

Further details and the prescribed format regarding empanelment are available at the website of the Department <https://gad.delhi.gov.in>. The Department reserves rights to reject any or all the applications without assigning any reasons thereof.

  
[Pradeep Tayal]  
Joint Secretary (GAD)

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।**

**पाँच सितारा होटलों के पैनलीकरण हेतु सूचना**

सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद् के अन्य कार्यालयों की ओर से उच्च-स्तरीय समारोहों और कई राज्य स्तरीय समारोहों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

अतः यह विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित पाँच सितारा होटलों से विभिन्न समारोहों/सम्मेलनों/बैठकों/कार्यक्रमों के लिए आतिथ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु, पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक पाँच सितारा होटल, न्यूनतम योग्यता मानदंड रखते हुए, निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें और उसे स्पीड पोस्ट या ईमेल आई.डी. sgad@nic.in पर 16.10.2025 (गुरुवार) सायं 05:00 बजे तक भेजें।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी और निर्धारित प्रारूप विभाग की वेबसाइट <https://gad.delhi.gov.in> पर उपलब्ध है।

**नोट:** विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

-ह./-

[प्रदीप तायल]

संयुक्त सचिव (सा.प्र.वि.)